सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
श्रावण 07, सोमवार, *शाके 1946*-जुलाई 29, *2024*	
Sravana 07, Monday, Saka 1946- July 29, 2024	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 15, 2024

संख्या:27/भू.अ./ज.स./2016/1450-1454:-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ फोर वाटर कन्सेप्ट के अन्तर्गत मठहांसई माईक्रों सिंचाई परियोजना के निर्माण में आने वाली भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, धौलपुर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बाड़ी, जिला धौलपुर होगे।

विवरण

माईक्रों इरीगेशन टेंक मइ हांसई अन्तर्गत तहसील बाडी जिला धौलपुर के बांध की पाल एंव डूब क्षेत्र हेत अवाप्त की जाने वाली भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही प्रस्ताव जिला धौलपुर

क्रं. सं.	परियोजना का नाम	गॉव का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	MIT Of Math Hasai	सूरोठी	लेखपुरा	बाड़ी	**धौलपुर**	उपखण्ड अधिकारी, बाडी
2		मठ हांसई	लेखपुरा	बाड़ी	**धौलपुर**	

फार्म-2

(देखें-नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क)	परियोंजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड **धौलपुर**
	प्रस्तावित योंजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	माईक्रों इरीगेशन टेंक मठ हांसई (MIT Math Hadai) निर्माण कार्य जिला धौलपुर के अन्तर्गत 4.4767 हेक्टयर भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयां भी दें।	(i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और/ भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारें में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योंजना विनिर्दिष्ट किए जाने होगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ड़)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हों जाएगी।	हां
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी।	अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड **धौलपुर** में उपलब्ध

मुकेश कुमार गुप्ता,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.,
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।